

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, मा0प्र0से0,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय :-

मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ-090-सचिवालय-0017-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
मांग सं0 40 विपत्र कोड एन0 2052000900017 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल
11,52,88,000/- (ग्यारह करोड़ बावन लाख अठासी हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए वेतनादि एवं अन्य मदों में उपबंधित राशि कुल
11,52,88,000/- (ग्यारह करोड़ बावन लाख अठासी हजार) रुपये मात्र निम्न रूप से आवंटित की जाती है :-

विषय शीर्ष	इकाई का नाम	बजट उपबंध	आवंटित राशि	शेष राशि
0101	वेतन	41253000	41253000	00
0102	विशेष वेतन	6000	6000	00
0103	जीवन यापन भत्ता	54042000	54042000	00
0104	मकान किराया भत्ता	7977000	7977000	00
0105	परिवहन भत्ता	1260000	1260000	00
0106	चिकित्सा भत्ता	214000	214000	00
0107	अन्य भत्ता	36000	36000	00
	योग - वेतन एवं अन्य भत्ते	104788000	104788000	00
0601	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	700000	700000	00
1101	यात्रा व्यय	700000	700000	00
1301	कार्यालय व्यय	2500000	2500000	00
1302	वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	1500000	1500000	00
1303	दूरभाष	200000	200000	00
1305	विधि प्रभार	100000	100000	00
1306	वर्दी/ पोशाक	150000	150000	00
2001	आतिथ्य व्यय	50000	50000	00
2003	प्रशिक्षण व्यय	100000	100000	00
2801	व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ	4500000	4500000	00
	कुल योग	11,52,88,000	11,52,88,000	00

(ग्यारह करोड़ बावन लाख अठासी हजार) रुपये मात्र।

कृ0पृ0उ0

2. राशि की निकासी उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में की जायगी।
3. राशि की निकासी के समय विपत्र पर इकाई का कोड, मांग संख्या एवं विपत्र कोड निश्चित रूप से अंकित किया जाय।
4. राशि का आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561वि(2) दिनांक-17.04.1998 के आलोक में किया जा रहा है। गैर योजना मद में चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव, दूरभाष, विधि प्रभार, वर्दी/पोशाक, आतिथ्य व्यय, प्रशिक्षण व्यय, व्यवसायिक एवं विशेष सेवाए आदि मदों में मितव्ययिता बरती जाय। सभी मदों में पूरे वर्ष के लिए किये गये बजट उपबंध के अनुसार ही आवश्यकता को देखते हुए व्यय किया जाय।
5. राशि की निकासी के बाद व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ अगले माह की 7 वीं तारीख तक निश्चित रूप से भेज दी जाय।
6. इसकी सूचना महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

ह0/ -

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-...../रा0, पटना-15, दिनांक-.....

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग (बजट), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-2 (लेखा) को दो प्रतियों में तथा प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-.....⁰¹⁻¹⁵...../रा0, पटना-15, दिनांक-^{11.4.16}.....

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
सरकार के संयुक्त सचिव।